

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ-4 (307) आकाशि/नि.सं./2017/124

दिनांक- 21/8/17

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2017-18 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय/विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संकाय/विषय
नवरंग महाविद्यालय, मैड, विराटनगर, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातक स्तर पर- कला संकाय- हिन्दी साहित्य, संस्कृत साहित्य, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी साहित्य।

1. संबंधित विश्वविद्यालय एवं बी0सी0आई0से संबद्धता प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई द्वितीय सहायता नहीं देगी।
4. संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय/नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएँ भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देनी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
13. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. दिशष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.ece@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (115)आकाशि/नि.सं./2011/ 138

दिनांक:- 23/02/2022

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत निम्न महाविद्यालय को सत्र 2021-22 से स्नातक स्तर पर नवीन विषय/ संकाय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है :-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	संबद्ध विश्वविद्यालय	संकाय व विषय
नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, ग्राम नवरंगपुरा, तह विराटनगर, गैड, विराटनगर, जयपुर। जयपुर।	नवरंग महाविद्यालय,	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय- भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, गणित।

1. संस्था स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय निरीक्षण शुल्क आवेदन करेगी।
2. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
3. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
6. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
8. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2021-22 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
9. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
10. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त

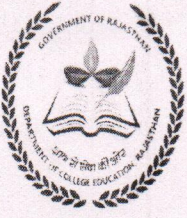
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्ता, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पंजीवली।

संयुक्त निदेशक (नि.सं.)

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (50)आकाशि/नि.सं./2022/1244

दिनांक:- 20-10-2022

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2022-23 से स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय/ विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संकाय व विषय
नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, ग्राम-नवरंगपुरा, तहसील-विराटनगर, जयपुर।	नवरंग महाविद्यालय, मैड, विराटनगर, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए- भूगोल, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान।

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाईन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
2. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
3. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
6. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
10. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
11. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2022-23 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जयपुर।
5. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर